कार्यालयः रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः फा.46(24)सविरा/बैंक–2/वित्तीय समावेशन/2016 दिनांकः 18/09/17

प्रबंध निदेशक,
राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि.,
जयपुर।
प्रबंध निदेशक,
केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.,
...(समस्त)

विषयः–राजकीय योजनाओं का लाभ सीधे ही लाभार्थी के खाते में दिये जाने बाबत।

महोदय,

जैसा कि आपको ज्ञात है केन्द्र व राज्य सरकार राजकीय योजनाओं का लाभ सीधे ही लाभार्थी के खाते में दिये जाने की योजना के शत–प्रतिशत क्रियान्वयन हेतु संकल्पित है। राज्य के शीर्ष व केन्द्रीय सहकारी बैंक इस कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए सी.बी.एस. युक्त वातावरण में परिचालित रहकर DBT को अपनाकर अपनी कार्य दक्षता व लाभ प्रदता में वृद्वि की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा भी इस कार्यक्रम की सतत निगरानी की जा रही है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में भी खराबा प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान राशि जिलेवार स्थित राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से प्रभावित बैंक खाता खुलवा कर उनके स्वयं के खातों में हस्तान्तरित किया जाने की सुनिश्चितता बरतने के निर्देश प्रदान किये गये, साथ ही लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि के विवरण संबंधित ग्राम पंचायत स्थित अटल सेवा केन्द्र में सूचनार्थ अनिवार्य रूप से चस्पा किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के संबंध में पूर्व में विभाग स्तर से आपको निर्देश दिये जाते रहे है। निर्देशानुसार समस्त केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को पुनः निर्देश प्रसारित किये जाते है कि संबंधित लाभार्थी राजकीय योजनान्तर्गत देय लाभ उनके बैंक के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाता खुलवा कर उनके स्वयं के खातों में हस्तान्तरित कराया जाना सुनिश्चित करें एवं किसी भी रूप में संबंधित काश्तकार/लाभार्थी को नकद भुगतान अथवा अन्य माध्यम से नहीं किया जाना अपने स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्देशों की पालना कडाई से की जावे । उक्त की पालना में आ रही समस्या के समाधान हेतु शीर्ष बैंक से तत्काल सहयोग लिया जावे।

भवदीय,

sd/-
(विजय कुमार शर्मा)
अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

क्रमांकः फा.46(24)सविरा/बैंक–2/वित्तीय समावेशन/2016 दिनांकः 18/09/17

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग)

Desktop/ rohit/ PARIK SIR B4 Folder/Letter.doc